बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
BSEIDC
(A Govt. of Bihar Undertaking)
ISO 9001:14001; OHSAS 18001
Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasha Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna - 800 004
Tel. No. : 0612 - 2660850 • Fax No. : 0612 - 2660256
E-mail : bseidc@gmail.com • Website : http://www.bseidc.in • CIN : U80301BR2010SGC015859

कार्यालय आदेश

संख्याः– 49 दिनांकः– 11/04/2022

दिनांक–15.03.2022 को आयोजित 41वीं निदेशक पर्षद की बैठक के एजेंडा संख्या–12/41 के निर्णयानुसार बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना में प्रख्यापित ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2012 के शर्तों में दण्ड का प्रावधान संन्निहित किया गया, जो निम्नवत् है:–

दण्ड का प्रावधान

क्र० सं०	कदाचार	कालीकरण की अवधि
1.	एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक	
	(a) कार्य एकरारनामा को Rescind किये जाने पर।	दस वर्षों के लिए कालीकृत
	(b) किये गये कार्य की गुणवता असंतोषजनक रहने एवं कार्य एकरारनामा को Rescind किये जाने पर।	पंद्रह वर्षों के लिए कालीकृत
	(c) एकरारनामा के एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन तथा इस संबंध में सूचना एवं चेतावनी देने के बावजूद भी अपेक्षित सुधार नहीं लाने पर।	दस वर्षों के लिए कालीकृत
	(d) संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये अंतरित अथवा चालू विपत्र में Fraud पाये जाने पर।	दस वर्षों के लिए कालीकृत
	(e) Defect Liability Period (DLP) में निर्मित योजनाओं का विहित संधारण नहीं किये जाने पर।	दस वर्षों के लिए कालीकृत
2.	संबंधित पदाधिकारी या कर्मचारी को अभित्रासित करने या उनपर हमला करने के लिए।	दस वर्षों के लिए कालीकृत
3.	ठेकेदार द्वारा सरकारी सामान जैसे सिमेंट, स्टील एवं अलकतरा इत्यादि बेचते हुए पाये जाने पर	दस वर्षों के लिए कालीकृत
4.	ठेकेदार द्वारा निविदा प्राप्त करने के लिए गलत अग्रधन या प्रतिभूति राशि एवं गलत कागजात समर्पित करने पर।	दस वर्षों के लिए कालीकृत

5.	एक से अधिक बार कार्य आवंटित होने पर निश्चित अवधि तक एकरारनामा नहीं करना।	दस वर्षों के लिए कालीकृत
6.	किसी अपराधिक गतिविधि में सजायाफ्ता होने पर।	दस वर्षों के लिए कालीकृत अथवा न्यायालय द्वारा संसूचित सजा की अवधि जो अधिक हो।
7.	ठेकेदार द्वारा अपना कार्य किसी दूसरे ठेकेदार अथवा किसी व्यक्ति को बिना विभागीय आदेश के सौंपने पर (सबलेटिंग)।	पाँच वर्षों के लिए कालीकृत
8.	पथ निर्माण विभाग के पत्रांक–4104 (ई०), दिनांक–28.10.2009 की उत्तरवर्ती कंडिका के आलोक में यथा प्रावधानित "एक से अधिक उपबंधित कदाचारों में संलिप्त पाये जाने पर"।	पन्द्रह वर्षों के लिए कालीकृत

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना के ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2012 के अन्य शर्तें यथावत् रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

ह०/–
प्रबंध निदेशक
BSEIDC, पटना

ज्ञापांकः– BSEIDC/ADMIN/31(Part-III)/2011- 2807 दिनांकः– 11/04/2022

प्रतिलिपिः–मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता एवं सभी कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(signature) 29/3/22

प्रबंध निदेशक
BSEIDC, पटना